II—156

Order Sheet [Contd]



Case No.

of 20

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary	
2110116	राज्यं द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी मुकेश सहित श्री अरूण श्रीवास्तव अधिवक्ता। इसी प्रास्थिति पर फरियादी/आहत तथा आरोपी ने उपस्थित होकर उनके मध्य राजीनामे की चर्चा हेतु प्रकरण मीडिएशन के लिए रैफर किये जाने का निवेदन किया। निवेदन सद्भावी प्रतीत होने से विचारोपरात स्वीकार किया गया।	of Zold &	
	प्रकरण प्रशिक्षित मीडिएटर श्री गोपेश गर्ग साहब को रैफरल ऑर्डर सहित प्रेषित किया जाये। प्रकरण मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट हेतु कुछ समय	3 Myar	
	पश्चात् पेश हो। प्नश्च :- प्नश्च :- प्राप्त विश्व हो। प्नश्च :- प्राप्त विश्व हो। प्राप्त विश्व हो।	Em Jus	
	पक्षकार पूर्ववत। मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्त, जिसके अनुसार उभय पक्ष के मध्य शमन कार्यवाही करने हेतु सहमति बन गई है।	मुक्रा शिवह	
	इसी प्रास्थिति पर फरियादी बुद्धे पुत्र गिरवर ओझा एव नीतू पत्नी पत्नी बुद्धे ओझा, निवासीगण :– मौ स्यौढ़ा रोड टावर के पास मौ ने उसके अधिववता श्री धर्मेन्द्र पाण्डेय के	- annula	
	साथ उपस्थित होकर उनका उपस्थिति पत्रक प्रस्तुत किया। फरियादी/आवेदक बुद्धे एवं नीतू ने उसके अधिवक्ता श्रं धर्मेन्द्र पाण्डेय के साथ उपस्थित होकर अभियुक्तग पर त्रा	1	
	धारा 294, 323, 451 एवं 506 भाग।। भा.व.सं. के अधीर दण्डनीय अभियोग के शमन अनुमति संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320 ''02'' द.प.स. प्रस्तुत किया।	ī	
	फरियादी बुद्धे एवं नीतू अभियोजित अपराध की धर 294, 323, 451 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. का शमन करने हतु सक्षम पक्षकार है। उसकी पहचान श्री धमेन्द्र पाण्डेय		
	अधिवक्ता द्वारा की है। आहतगण की पहचान उसके चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन से भी हो रही है।		
	. प्रकार श्रामाँ स्थापिक मिलस्टेट प्रथम-१७		

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary	
	Case No.		
	फरियादीगण को सुना गया। फरियादी द्वारा स्वेच्छय		
	बिना किसी भय, दबाव अथवा लालच के अपराध का शमन		
	करना स्वीकार किया गया है। अभियुक्त और उसके संबंध मधुर		
	हो चुके हैं और उनके मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है।		
	उमयपक्ष की ओर से फ्रियादी/आवेदक तथा आरोपी द्वार		
	हस्ताक्षरित एवं आहत के रंगीन छायाचित्र सहित राजीनाम		
	प्रस्तुत किया गया। राजीनामा पर उभयपक्ष को सुना गया		
	अभियुक्त के विरुद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धि अभियोजित नहीं है		
	आवेदन अस्वीकार करने का कोई अन्य कारण भी प्रकरण मे		
	परिलक्षित नहीं है। अतः प्रस्तुत आवेदन स्वीकारते हुए अभियुक्त		
	के विरूद्ध अभियोजित की धारा 294, 323, 451 एवं 500		
	भाग।। भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध का शमन स्वीकार		
	किया जाता है। तदानुसार अभियुक्त को भा.द.सं. की धारा 294		
1/13/1	323, 451 एवं 506 भागं।। के अधीन दण्डनीय अपराध के		
	अभियोजन से दोषमुक्त किया जाता है।		
	अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र		
	भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।		
	प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में लेखबद्ध कर प्रकरण		
	विहित समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाए।		
	मीडिएशन पण्डिन रिपोर्ट प्राप्त जिसके अनुसार उमय		
	है सहयू प्राप्त करने हैं करने हैं कर है है । स्वार्ट हैं।		
	कुप्र गर्हा एक प्रकार के कि प्रकार के कि प्रकार के जा कि		
	कार्याहर से व्यापिक स्थिति स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्		
	क प्रदेश हम्में कि ए मोहद जिलाना के किए।		
	विपश्चित होकर बनका व्यक्तिति पत्रक प्रस्तुत किया ।		
	फरियादी / आवेदक बुद्धे एवं नीत् ने उसके अधिववता औ		
	इ पाण्डेय के साथ उपस्थित होकर अभियवतम् पर तम		

+